

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज०)

अपील संख्या 12/39/2021
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2021/57
प्रवेश तिथि 28.04.2021



अपीलार्थी
श्री प्रतापसिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस बहरोड,
अलवर (राज०) 301705

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी नीमराणा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
निर्णय

दिनांक: 09.06.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा०पत्र दिनांक: 09.03.2021 के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय जिला कलक्टर (सतर्कता) अलवर का पत्र क्रमांक सतर्कता/मुम/विविध-227/20/27 दिनांक 04.01.2021 पर प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना की वांछा की गई।
5. उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक: 10.04.2021 के माध्यम से इस कार्यालय में (प्राप्ति दिनांक 28.04.2021) प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांक: 13.05.2021 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, साथ ही ई-मेल के जरिये भी नोटिस प्रेषित करते हुए जवाब चाहा गया व दिनांक 02.06.2021 को पुनः स्मरण पत्र भी जारी किया गया किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गंभीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदन के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक-


P.T.O.

2

09.03.2021 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ज में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो उच्चाधिकारियों के आदेशों के प्रति प्रत्यर्थी कार्यालय की उदासीनता एवं लापरवाही का परिचायक है।

8. अस्तु अपील स्वीकार की जाती है।
9. चूँकि प्रकरण में प्रत्यर्थी कार्यालय की ओर से अपील में कोई जवाब अप्राप्त है। अतः अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक: 09.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के तहत सूचना यदि उपलब्ध कराई जाने की श्रेणी में हो तो उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में वांछित सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क ही अधिप्रमाणित करते हुए पंजीकृत-पत्र के जरिये उपलब्ध करा दी जावे अन्यथा स्थिति में तदनुसार अपीलार्थी को सूचित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।




अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)